[2019] 4 एससीआर 648

आर. धनसुंदरी @ आर. राजेश्वरी

बनाम

एक। उमाकांत एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 7292, 2009)

मार्च 06, 2019

[उदय उमेश ललित और दिनेश माहेश्वरी, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - या। XXIII, 1-4 वीडब्ल्यू या। 1, 110 - वादी और प्रतिवादी संख्या 1 की साझेदारी फर्म के नाम पर खरीदी गई प्रश्नगत संपत्ति - फर्म विघटित - वादी के पास निहित संपत्ति - बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए वादी द्वारा दायर मुकदमा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित , प्रतिवादी संख्या 2-अपीलकर्ता के पक्ष में, कथित तौर पर मुकदमे की संपत्ति में अधिकार त्यागने के बावजूद - वादी की मृत्यु हो गई, उसके 3 बेटों और 4 बेटियों को वादी संख्या 2 से 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया - वादी संख्या 5-प्रतिवादी संख्या को शक्ति दी गई अपने भाई-बहनों द्वारा वकील की नियुक्ति - मुकदमे में एकतरफा फैसला सुनाया गया - डिक्री को रद्द कर दिया गया, मुकदमा बहाल कर दिया गया - अंतराल में, वादी नंबर 5 ने मुकदमे की संपत्ति प्रतिवादी नंबर 2 से 4 को बेच दी, जिन्होंने वादी के रूप में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया - अनुमति दी, वादी संख्या 9 से 11 के रूप में मुकदमे में शामिल हुए - वादी संख्या 2 से 4 और 6 से 8 ने वादी संख्या 5 की पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया और वादी संख्या 5 और वादी संख्या 9-11 को प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया - अनुमति दी गई , वादी संख्या 5 और 9-11 को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित किया गया - वादी ने मुकदमा वापस लेने की मांग की - प्रतिवादी संख्या 3-6 ने आपत्ति जताई, जिन्होंने इसके साथ आवेदन भी दायर किया था। XXIII, rl-A ww या 1, r10 वादी के रूप में स्थानांतरण के लिए - अनुमति - अपील पर, आयोजित: Or.1, r.10 पार्टियों को जोड़ने, हटाने और प्रतिस्थापन के लिए प्रदान करता है और एक पार्टी को एक स्थिति से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव देता है दूसरा, अपने स्वभाव से, या के v.10 के उप-नियम(2) में निहित है। 1- w/या XXIII, v1, वादी मुकदमे को वापस लेने या दावे के हिस्से को छोड़ने की अनुमति मांग सकता है- नियम 1-ए उस स्थिति से संबंधित है जहां वादी अपना मुकदमा वापस ले लेता है या अपना दावा

छोड़ देता है लेकिन एक प्रोफार्मा प्रतिवादी के पास पर्याप्त है सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लिया जाने वाला प्रश्न - स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना देने की न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं - मुकदमे में मुख्य कारण प्रतिवादी संख्या ।1 द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को चुनौती देना है, जिसमें मूल वादी उस पर अपने स्वामित्व का दावा करता है। संपत्ति- पार्टियों की दी गई स्थिति में, भले ही वादी संख्या 5 और 9 से 11 को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ उनका दावा समाप्त नहीं हुआ और मुकदमा अनिवार्य रूप से उनके खिलाफ ही रहा। प्रतिवादी संख्या 1 और 2- मौजूदा वादी और प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का हित प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के समान ही था - जब वादी ने प्रतिवादी संख्या के साथ एक समझौता किया। 1 और 2 और मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी, प्रतिवादी संख्या 3-6 का प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ अपने दावे पर मुकदमेबाजी जारी रखने का अधिकार तुरंत सामने आया और वे वादी के रूप में XXIII, आर 1-ए. के स्थानान्तरण की मांग करने के हकदार थे।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - या। मैं, 10 - का उद्देश्य - चर्चा की गई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, मौजूदा वादी द्वारा आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के तहत वापस लेने की अनुमति मांगने पर, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को आदेश XXIII नियम 1 के तहत वादी के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। -आदेश I नियम 10 सीपीसी के साथ पढ़ें और मुकदमे को जारी रखें, जैसा कि मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ दायर किया गया था। सिविल मुकदमे के पक्षों से संबंधित प्रक्रिया का कानून अनिवार्य रूप से संहिता के आदेश I में निहित है। सिविल प्रक्रिया, पार्टियों के जॉइन्डर, नॉन-ज्वाइंडर और मिस-ज्वाइंडर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से निपटना। आदेश I का नियम 10 विशेष रूप से पार्टियों को जोड़ने, हटाने और प्रतिस्थापन के लिए प्रदान करता है; और किसी पार्टी को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, अपने स्वभाव से, आदेश I सीपीसी के नियम 10 के उप-नियम (2) में निहित है। दूसरी ओर, मुकदमों की वापसी और समायोजन के संबंध में प्रक्रिया का कानून सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII में निहित है। इसके नियम 1 के अनुसार, एक वादी मुकदमा वापस लेने या दावे के एक हिस्से को छोड़ने की अनुमति मांग सकता है। इसका नियम 1-ए उस स्थिति से संबंधित है जहां वादी अपना मुकदमा वापस ले लेता है या अपना दावा छोड़ देता है, लेकिन एक प्रो फॉर्म प्रतिवादी के पास सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आदेश I सीपीसी के नियम 10 का उद्देश्य अनिवार्य रूप से उन सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड

पर लाना है जो मुकदमे के विषय से संबंधित विवाद के पक्षकार हैं ताकि विवाद का निर्धारण उनकी उपस्थिति में किया जा सके और कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके। . [पैरा 7-9]

1.3 उपरोक्त नियम 1-ए के अनुसार, वादी द्वारा मुकदमा वापस लेने या अपना दावा छोड़ने की स्थिति में, एक प्रोफार्मा प्रतिवादी, जिसके पास सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह वादी के रूप में अपने स्थानांतरण की मांग करने का हकदार है। दिए गए मुकदमे में ही उक्त सह-प्रतिवादी के विरुद्ध ऐसे प्रश्न का निर्धारण। नियम 1-ए में निहित प्रावधानों की प्रकृति ही उपरोक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानान्तरण के लिए इस तरह की प्रार्थना देने की न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं और इसका प्रयोग मुकदमे में विवाद वाले सभी मामलों के प्रभावी और व्यापक निर्णय के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त नियम 1-ए के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए बुनियादी आवश्यकता। यह जांच की जाएगी कि क्या वादी आदेश XXIII के नियम 1 के तहत अपने दावे को वापस लेने या छोड़ने की मांग कर रहा है और स्थानान्तरण की मांग करने वाले प्रतिवादी को मुकदमे के विषय-वस्तु में रुचि है और इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न के खिलाफ निर्णय लिया जाना है। अन्य प्रतिवादी. ऐसी स्थिति में, प्रोफार्मा प्रतिवादी को वादी के रूप में उसी मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे उसके अधिकार के पराजित होने की संभावना को रोका जा सके और कार्यवाही की अनावश्यक बहुलता से भी बचा जा सके। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से आदेश I सीपीसी के नियम 10 के साथ पढ़े गए आदेश XXTII के नियम 1-ए की प्रयोज्यता के लिए सभी बुनियादी बातों का उत्तर देने वाला मामला है। मुकदमे में मुख्य कारण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को चुनौती देना है, जिसमें मूल वादी प्रश्न में संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करता है। पार्टियों की दी गई स्थिति में, भले ही वादी संख्या 5 और 9 से 11 को बाद में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, मुकदमा अनिवार्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ ही रहा, यानी चुनौती में। बिक्री विलेख दिनांक 23.03.1985, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इस कारण के संबंध में, भले ही वादी संख्या 5 और 9 से 11 को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में स्थानांतरित किया गया हो 6, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध उनका दावा समाप्त नहीं हुआ; बल्कि, मौजूदा वादी और प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का हित प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के समान ही था। पार्टियों की दी गई स्थिति और मुकदमे की विषय वस्तु में, जब वादी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ एक समझौता किया और आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के तहत वापस लेने की अनुमति मांगी, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ अपने दावे पर मुकदमेबाजी जारी रखने का अधिकार तुरंत सामने आया। और वे, स्पष्ट रूप से,

आदेश XXIII नियम 1-ए सीपीसी के तहत वादी के रूप में स्थानांतरण की मांग करने के हकदार थे। यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही बाद के खरीददारों (प्रतिवादी संख्या 4 से 6) के अधिकारों के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए जाने की मांग की गई हो, प्रतिवादी संख्या 3 (पहले वादी संख्या 5) के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है। मूल वादी के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए वादी के रूप में मुकदमा निर्विवाद बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच बिक्री विलेख को चुनौती देने के लिए उक्त प्रतिवादी संख्या 3 (पहले वादी संख्या 5) का अधिकार केवल प्रतिवादी के रूप में उसके पहले स्थानांतरण से रद्द नहीं हुआ; और उसे मौजूदा वादी और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बीच की व्यवस्था से बाध्य नहीं माना जा सकता है। स्थानांतरण के लिए प्रार्थना की अनुमति देने में ट्रायल कोर्ट उचित था। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। [पैरा 10-13]

अनिल कुमार सिंह बनाम शिवाथ मिश्रा **(1995) 3 एससीसी 147: [1994] 5 पूरक। एससीआर 135 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1994] 5 पूरक। एससीआर 135 पैरा 9 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7292 02009।

2006 के सीआरपी (पीडी) संख्या 10 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2006 से।

ए.एन. वेणुगोपाला गौड़ा, वरिष्ठ वकील, एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री सी. रुबावती, वी. सेंथिल कुमार, पी. राजा राम, अपीलकर्ता के लिए वकील।

सुनील फर्नांडीस, दर्पण सचदेवा, पीवी योगेश्वरन, एके उपाध्याय, वाई. लोकेश, बाबुल कुमार, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, उत्तरदाताओं के वकील।

न्यायालय का फैसला **दिनेश माहेश्वरी, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 2006 के सीआरपी (पीडी) संख्या 10 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने 07.07.2005 के आदेश को बरकरार रखा है, जैसा कि मौजूदा वादी द्वारा मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगने के बाद, जिला मुंसिफ, चेंगलपट्टू द्वारा ओएस नंबर 219 ओ£

2004 में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा उन्हें वादी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति देते हुए पारित किया गया।

2. प्रतिवादी संख्या 3 से 6 तक की प्रार्थना को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सीपीसी') के आदेश 1 नियम 10 के साथ आदेश XXIII नियम 1-ए के तहत वादी के रूप में बदलने के लिए किया गया और कुछ अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमति दी गई, जिसे संक्षेप में, निम्नानुसार देखा जा सकता है: -

(ए) विचाराधीन सिविल मुकदमा मूल रूप से एसी नटराज मुदलियार (मूल वादी) द्वारा एवी मनोहरन (प्रतिवादी संख्या 1 - प्रतिवादी संख्या 1 यहां) और आर धनसुंदरी @ आर के खिलाफ प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश, चेंगलपट्टू की अदालत में स्थापित किया गया था। .राजेश्वरी (प्रतिवादी संख्या 2 - यहां अपीलकर्ता) को बिक्री विलेख दिनांक 23.03.1985 को रद्द करने के लिए, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। यह सूट प्रारंभ में 1989 के ओएस नंबर 122 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

(बी) वादपत्र में दावा किया गया था कि सूट अनुसूची संपत्ति एक साझेदारी फर्म मेसर्स साउथ इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम पर खरीदी गई थी, जिसमें वादी और प्रतिवादी नंबर 1 भागीदार थे; और उक्त फर्म को 22.05.1971 के एक विघटन विलेख द्वारा भंग कर दिया गया था, जिससे प्रतिवादी नंबर 1 एवी मनोहरन को फर्म की संपत्ति और देनदारियों से राहत मिली थी और वादी एसी नटराज मुदलियार के पास निहित मुकदमा अनुसूची संपत्ति थी। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 एवी मनोहरन ने मुकदमे की संपत्ति में अधिकार त्यागने के बावजूद, दिनांक 23.03.1985 के विक्रय विलेख के तहत इसे प्रतिवादी नंबर 2 को बेच दिया।

(सी) इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, मूल वादी एसी नटराज मुदलियार की मृत्यु 19.05.1988 को हो गई और वे अपने कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में 3 बेटों और 4 बेटियों को छोड़ गए, जिन्हें मुकदमे में वादी संख्या 2 से 8 के रूप में शामिल किया गया था। मूल वादी के पुत्रों में से एक, एएन उमाकांत (वादी संख्या 5-प्रतिवादी संख्या 1) को उसके भाई-बहनों द्वारा वकील की शक्ति प्रदान की गई थी।

(डी) मुकदमे को वर्ष 1995 में एक पक्षीय डिक्री कर दिया गया था, लेकिन बाद में, एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया और मुकदमे को मूल संख्या में बहाल कर दिया गया। हालाँकि, अंतराल में, प्रतिवादी नंबर 1 एएन उमाकांत, मूल वादी के सभी कानूनी प्रतिनिधियों के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, ने मुकदमे की संपत्ति को तीन व्यक्तियों, अर्थात्

रामासामी, धनम रामासामी और वेंकटसुब्रमण्यन (प्रतिवादी नंबर 2 से) को बेच दिया। 4 यहां) एक पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.07.1995 के माध्यम से। इस लेनदेन के मद्देनजर, मुकदमे की बहाली पर, उक्त खरीददारों ने वादी के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन (2002 का आईए संख्या 135) दायर किया। इस आवेदन को 21.06.2002 को अनुमति दी गई थी और इस तरह, उक्त खरीदारों को वादी संख्या 9 से 11 के रूप में मुकदमे में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

(ई) हालाँकि, अन्य वादी (संख्या 2 से 4 और 6 से 8) ने वादी संख्या 5 द्वारा बिक्री के उपरोक्त लेनदेन पर आपत्ति जताई; उन्होंने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दी और वादी संख्या 5 और उसके खरीददारों (वादी संख्या 9 से 11) को प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन (2003 का आईए संख्या 468) पेश किया। इस आवेदन को 25.06.2003 को अनुमति दी गई थी और तदनुसार, वादी संख्या 5 और वादी संख्या 9 से 11 को इस मुकदमे में प्रतिवादी 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित किया गया था।

(एफ) इस प्रकार, दिए गए समय तक, कार्यवाही और विकास यह था कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए नागरिक मुकदमे में, मूल एकमात्र वादी की मृत्यु हो गई थी ; उनके कानूनी प्रतिनिधि वादी संख्या 2 से 8 के रूप में रिकॉर्ड पर आए, वादी संख्या 5 अन्य वादी के अटॉर्नी धारक की शक्ति थी; मुकदमे का एकपक्षीय फैसला सुनाया गया और उक्त वकील ने मुकदमे की संपत्ति तीन व्यक्तियों को बेच दी; जब एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया और मुकदमे को उसके नंबर पर बहाल कर दिया गया, तो उक्त खरीदार वादी संख्या 9 से 11 के रूप में रिकॉर्ड पर आए; और बाद में, उक्त विक्रेता और खरीददारों (वादी संख्या 5 और 9 से 11) को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। इस मोड़ पर और इस तरह के बदलाव के साथ, मुकदमा जिला मुंसिफ न्यायालय की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया। , चेंगलपट्टू और 2004 के ओएस नंबर 219 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।

(जी) इस प्रकार, पार्टियों की श्रृंखला में जोड़ और स्थानान्तरण के साथ स्थानांतरित और पुन: क्रमांकित होने के बाद, विचाराधीन मुकदमा मुकदमे में आगे बढ़ा, लेकिन, जब मामला प्रतिवादियों के गवाह डीडब्ल्यू-3 की जिरह के चरण में पहुंच गया, वादी ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति के लिए एक ज्ञापन दायर किया, क्योंकि मामला प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ तय हो गया था। हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वादी द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध नहीं किया, लेकिन फिर, प्रतिवादी 3 से 6 (जिन्हें वादी के रूप में उनकी पिछली स्थिति से प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित किया गया था) ने वापसी के लिए ज्ञापन पर आपत्तियां दर्ज कीं और आदेश I नियम 10 सीपीसी के साथ पठित आदेश XXIII नियम

1-ए के तहत आवेदन (2005 का आईए संख्या 153) भी दायर किया, इस प्रार्थना के साथ कि उन्हें इस मुकदमे में वादी संख्या 2 से 5 के रूप में स्थानांतरित किया जाए।

3. ट्रांसपोज़िशन के लिए उक्त आवेदन (2005 का आईए नंबर 153) को ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 07.07.2005 द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमति दी थी: -

"याचिका पर गौर करने पर पता चला कि मूल मुकदमा वर्ष 1989 में दायर किया गया था। मूल रूप से याचिकाकर्ता ने वादी के पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट के रूप में उपरोक्त मुकदमा दायर किया है। जब अधिकार लागू था तो याचिकाकर्ता को दी गई शक्ति निरस्त कर दी गई। जब सत्ता लागू थी, याचिकाकर्ता ने सूट का अधिकांश सामान बेच दिया। खरीदारों ने उपरोक्त मुकदमे में खुद को वादी के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया और इसकी अनुमति दे दी गई। बाद में वादी पक्ष ने वादी संख्या 5, 9 से 11 को प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया और इसकी अनुमति दे दी गई। बाद में मुकदमा शुरू हुआ और वादी गवाह से पूछताछ की गई। प्रतिवादियों की ओर से 3 गवाहों से पूछताछ की गई। 2 प्रतिवादी के पति से जिरह टाल दी गई है. इस स्तर पर वादी और 2" प्रतिवादी ने समझौता किया और एक ज्ञापन दायर किया जिसमें कहा गया कि मुकदमा अदालत के बाहर निपटाए जाने के कारण दबाया नहीं गया है। याचिकाकर्ता ने संपत्ति बेच दी जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी लागू थी। इसलिए याचिकाकर्ता का हित है मुकदमे के परिणाम में। जब मामला अंतिम छोर पर है और मुकदमा वर्ष 1989 का है और यदि मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो इस याचिकाकर्ता के पास कोई उपाय नहीं है और वह इसमें कोई उपाय पाने की स्थिति में नहीं है। मुकदमा। इसके अलावा यदि याचिकाकर्ता नया मुकदमा दायर करते हैं, तो उक्त मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित कर दिया जाएगा। जब मुकदमे के सभी पक्ष समझौता कर लेंगे, तो अदालत पार्टियों को मुकदमा वापस लेने की अनुमति देगी। लेकिन इस मामले में केवल वादी और 2" प्रतिवादी ने अकेले ही समझौता कर लिया। शेष प्रतिवादी समझौते के पक्षकार नहीं हैं। चूँकि अन्य प्रतिवादियों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए यह अदालत इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। उपरोक्त कारणों से और न्याय के हित में और ए मामले को हमेशा के लिए निपटाने और पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है।"

4. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 2 (यहां अपीलकर्ता) ने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक बी 12.10.2006 के आक्षेपित आदेश में विचार किया और खारिज कर दिया, जबकि यह निम्नानुसार है: -

"15.....इस मामले में यह देखा गया है कि प्रतिवादी 3 से 6 जो खुद को वादी के रूप में स्थानांतरित करना चाहते हैं, उन्हें मूल रूप से वादी 5 और 9 से 11 के रूप में रखा गया था। इस आधार पर कि 5" वादी (अब 3 प्रतिवादी) ने प्रतिवादी 4 से 6 को मुकदमे की संपत्ति बेचने में अन्य वादी (उसके अपने भाइयों और बहनों) के हित के खिलाफ काम किया, वादी ने उन्हें मूल रूप से आईए में प्रतिवादी 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित कर दिया 2003 की संख्या 468। दूसरे शब्दों में, वर्तमान प्रतिवादी 3 से 6 बाद के खरीदार हैं, पेंडेंट लाइट, उनके पास प्रतिवादी 1 और 2 के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जब वे वादी 5 और 9 से 11 थे। वर्ष 2003 में प्रतिवादी 3 से 6 के रूप में उनके स्थानांतरण के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्रतिवादी 1 और 2 के विरुद्ध समान प्रश्न पर निर्णय लेने के अपने अधिकार खो दिए हैं। वास्तव में, 3 प्रतिवादियों को मुकदमा चलाने का अधिकार है मुकदमा | एक वादी के रूप में, दायर मुकदमे में प्रार्थना की गई मूल बिक्री राहत के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति से बाहर हो गया, उनके पिता द्वारा वर्ष 2003 में तीसरे प्रतिवादी के रूप में उनके स्थानान्तरण द्वारा रद्द नहीं किया गया।

16. यदि वादी मुकदमा लड़ते हैं और सफल होते हैं, तो ऐसी सफलता स्वचालित रूप से प्रतिवादी 3 से 6 के लाभ के लिए सुनिश्चित होती है। इसलिए, प्रतिवादी 3 से 6 को वादी के साथ हित की पहचान कहा जा सकता है।

17. ऐसी परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों 3 से 6 को वादी के रूप में स्थानांतरित करने का आदेश देकर सही किया था। इसलिए, मुझे सिविल पुनरीक्षण में कोई योग्यता नहीं दिखती और सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं, कनेक्टेड सीएमपी और वीसीएमपी बंद हैं।"

5. उपरोक्त आदेश की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के संबंध में लेनदेन मुकदमा शुरू होने के बहुत बाद हुआ है, इन प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 और 2 और इसलिए, उन्हें वादी के रूप में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है; आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के तहत मुकदमा वापस लेने के डोमिनस लिटस वादी के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, खासकर जब वे नया मुकदमा दायर करने

की कोई स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं; और बाद के खरीददारों के पास बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे अपीलकर्ता के पक्ष में वर्ष 1985 में निष्पादित किया गया था। ये प्रस्तुतियाँ प्रतिवादी संख्या 6 और 8 से 11 (वादी) की ओर से समर्थित हैं। इस तर्क के साथ कि बाद के खरीददारों के पास कार्रवाई का एक अलग और विशिष्ट कारण है, जिन्हें एक अलग मुकदमा दायर करना चाहिए और उन्हें वर्तमान मुकदमे में वादी के रूप में स्थानांतरित होने का कोई अधिकार नहीं है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने मुकदमे की विषय वस्तु के साथ-साथ मुकदमा दायर करने के बाद हुए घटनाक्रम और प्रतिवादी नंबर 3 की दलीलों के संदर्भ में दिए गए आदेश का विधिवत समर्थन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करने में 6 का समान हित है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, जब मौजूदा वादी वापस लेना चाहते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 3 को 6 को वादी के रूप में स्थानांतरित होने का अधिकार है ताकि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के खिलाफ उनके दावे का न्यायनिर्णयन किया जा सके।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उत्सुकता से विचार करने और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में, मौजूदा वादी द्वारा आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के तहत वापस लेने की अनुमति मांगने पर, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को आदेश XXIII नियम 1-ए के तहत वादी के रूप में बदलने और मुकदमा जारी रखने की अनुमति दी गई है। जैसा कि मूल रूप से प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के खिलाफ दायर किया गया था।

8. सिविल मुकदमे के पक्षों से संबंधित प्रक्रिया का कानून अनिवार्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश I में निहित है, जो पार्टियों के जॉइन्डर, नॉन-ज्वाइंडर और मिस-ज्वाइंडर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से निपटता है। आदेश I का नियम 10 विशेष रूप से पार्टियों को जोड़ने, हटाने और प्रतिस्थापन के लिए प्रदान करता है; और किसी पार्टी को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, अपने स्वभाव से, आदेश I सीपीसी के नियम 10 के उप-नियम (2) में निहित है जो इस प्रकार है: -

> ***"2) न्यायालय पार्टियों को हटा सकता है या जोड़ सकता है। -*** *न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो, आदेश दे सकता है कि किसी भी पक्ष का नाम अनुचित रूप से शामिल हो, चाहे वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में , हटा दिया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति का नाम जो शामिल हो गया है, चाहे वह वादी या*

प्रतिवादी के रूप में हो, या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाया जा सके।

8.1 दूसरी ओर, मुकदमों की वापसी और समायोजन के संबंध में प्रक्रिया का कानून सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII में निहित है। इसके नियम 1 के अनुसार, एक वादी मुकदमा वापस लेने या दावे के एक हिस्से को छोड़ने की अनुमति मांग सकता है। उसका नियम 1-ए! ऐसी स्थिति से निपटता है जहां वादी अपना मुकदमा वापस ले लेता है या अपना दावा छोड़ देता है लेकिन एक प्रो फॉर्म प्रतिवादी के पास सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आदेश XXIII सीपीसी का यह नियम 1-ए इस प्रकार है:-

"आर.1-ए. जब प्रतिवादियों को वादी के रूप में स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकती है।- *जहां नियम 1 के तहत वादी द्वारा मुकदमा वापस ले लिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, और प्रतिवादी आदेश 1 के नियम 10 के तहत वादी के रूप में स्थानांतरित होने के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय, इस पर विचार करेगा। आवेदन, इस प्रश्न पर उचित ध्यान दें कि क्या आवेदक के पास अन्य प्रतिवादियों की तुलना में निर्णय लेने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है।"*

9. यह स्पष्ट है कि आदेश I सीपीसी के नियम 10 का उद्देश्य अनिवार्य रूप से उन सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड पर लाना है जो मुकदमे के विषय से संबंधित विवाद के पक्षकार हैं ताकि विवाद का निर्धारण उनकी उपस्थिति में किया जा सके और कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सकता है। इस न्यायालय ने अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा: (1995) 3 एससीसी 147 के मामले में, एक अलग संदर्भ में, सिद्धांतों की व्याख्या निम्नलिखित में की: -

"7. .....नियम का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड पर लाना है जो विषय-वस्तु से संबंधित विवाद के पक्षकार हैं ताकि विवाद का निर्धारण बिना किसी देरी, असुविधा के एक ही समय में उनकी उपस्थिति में किया जा सके। कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए।"

10. उपरोक्त नियम 1-ए के अनुसार, वादी द्वारा मुकदमा वापस लेने या अपना दावा छोड़ने की स्थिति में, एक प्रोफार्मा प्रतिवादी, जिसके पास सह-प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह अपने स्थानांतरण की मांग करने का हकदार है। वादी को दिए गए मुकदमे में ही उक्त सह-प्रतिवादी के खिलाफ ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए आवेदन करना होगा। नियम 1-ए में निहित प्रावधानों की प्रकृति ही उपरोक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं

है कि स्थानान्तरण के लिए इस तरह की प्रार्थना देने की न्यायालय की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं और इसका प्रयोग मुकदमे में विवाद वाले सभी मामलों के प्रभावी और व्यापक निर्णय के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त नियम 1-ए के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए बुनियादी आवश्यकता। यह जांच की जाएगी कि क्या वादी आदेश XXIII के नियम 1 के तहत अपने दावे को वापस लेने या छोड़ने की मांग कर रहा है और स्थानान्तरण की मांग करने वाले प्रतिवादी को मुकदमे के विषय-वस्तु में रुचि है और इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण प्रश्न के खिलाफ निर्णय लिया जाना है। अन्य प्रतिवादी. ऐसी स्थिति में, प्रोफार्मा प्रतिवादी को वादी के रूप में उसी मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे उसके अधिकार के पराजित होने की संभावना को रोका जा सके और कार्यवाही की अनावश्यक बहुलता से भी बचा जा सके।

11. वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से आदेश आईसीपीसी के नियम 10 के साथ पढ़े गए आदेश XXIII के नियम 1-ए की प्रयोज्यता के लिए सभी बुनियादी बातों का उत्तर देने वाला मामला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुकदमे में मुख्य कारण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को चुनौती देना है, जिसमें मूल वादी प्रश्न में संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करता है। मूल वादी की मृत्यु के बाद, उसके बेटे और बेटियाँ वादी क्रमांक 2 से 8 के रूप में शामिल हो गए और वादी क्रमांक 5 सभी वादी पक्ष का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बन गया। मुकदमे का एक पक्षीय फैसला सुनाए जाने के बाद, वादी नंबर 5 ने संबंधित संपत्ति को उपरोक्त तीन खरीददारों को हस्तांतरित कर दिया, जो वादी नंबर 9 से 11 के रूप में शामिल हो गए जब एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया और मुकदमा द्विपक्षीय सुनवाई के लिए बहाल कर दिया गया। . पार्टियों की दी गई स्थिति में, भले ही वादी संख्या 5 और 9 से 11 को बाद में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, मुकदमा अनिवार्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ ही रहा, यानी चुनौती में। बिक्री विलेख दिनांक 23.03.1985, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इस कारण के संबंध में, भले ही वादी संख्या 5 और 9 से 11 को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में स्थानांतरित किया गया हो 6, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध उनका दावा समाप्त नहीं हुआ; बल्कि, मौजूदा वादी और प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का हित प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के समान ही था।

12. पार्टियों की दी गई स्थिति और मुकदमे की विषय वस्तु में, जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ एक समझौता किया और आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के तहत वापस लेने की अनुमति मांगी, तो प्रतिवादी संख्या 3 का अधिकार 6 को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ अपने दावे पर मुकदमेबाजी जारी रखने के लिए तुरंत आगे बढ़ना पड़ा और

वे स्पष्ट रूप से आदेश XXIII नियम 1-ए सीपीसी के तहत वादी के रूप में स्थानांतरण की मांग करने के हकदार थे।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही बाद के खरीददारों (प्रतिवादी संख्या 4 से 6) के अधिकारों के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए जाने की मांग की गई हो, प्रतिवादी संख्या 3 (पहले वादी संख्या 5) का अधिकार मूल वादी के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए वादी के रूप में मुकदमा चलाना निर्विवाद है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच बिक्री विलेख को चुनौती देने के लिए उक्त प्रतिवादी संख्या 3 (पहले वादी संख्या 5) का अधिकार केवल प्रतिवादी के रूप में उसके पहले स्थानांतरण से रद्द नहीं हुआ; और उसे मौजूदा वादी और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बीच की व्यवस्था से बाध्य नहीं माना जा सकता है। दी गई परिस्थितियों में, ट्रायल कोर्ट ने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना की अनुमति देना उचित ठहराया था और उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। .

14. यहां ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके लिए यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए खारिज कर दी जाती है।

दिव्या पांडे अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।